उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग
संख्या 160/XII/2010/92(05)/2007
देहरादूनः दिनांक 03 मार्च 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम,2007 (अधिनियम संख्या 04, वर्ष 2007) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010

अध्याय–एक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010 है।
(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. इस नियमावली, में जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो,–
(क) "अधिनियम" से उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;
(ख) "समिति" से धारा 3 के अधीन गठित जिला योजना समिति अभिप्रेत है;
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
(घ) "नगर निकाय" से यथा स्थिति उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन गठित कोई नगर निगम,नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत अभिप्रेत है ;
(ङ) "निर्वाचन" से किसी जिला योजना समिति के यथास्थिति निर्वाचन होने वाले सदस्य पद के लिये निर्वाचन अभिप्रेत है;
(च) "सदस्य" से अधिनियम में निर्दिष्ट जिला

योजना समिति का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "प्रपत्र" से इस नियमावली की अनुसूची में दिये गये प्रपत्र अभिप्रेत है ;

(ज) "मतपत्र" से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये मतपत्र अभिप्रेत है ;

(झ) "जिलाधिकारी" से उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम, 1951 (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त, अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "जिला मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा, 20 में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ट) "मुख्य विकास अधिकारी" से जिले में नियुक्त मुख्य विकास अधिकारी अभिप्रेत है;

(ठ) "जिला निर्वाचन अधिकारी" से किसी जिले का जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग समय-समय पर समिति के निर्वाचन हेतु नियुक्त करे ;

(ड) "रिटर्निंग आफीसर" से जिला योजना समिति के किसी निर्वाचन के निमित्त समय-समय पर नियुक्त रिटर्निंग आफीसर अभिप्रेत है;

(ढ) "सचिव" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त सचिव अभिप्रेत है ;

जिला योजना समिति का गठन

3. (1) प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा, जो जिलें में पंचायतों तथा नगर निकायों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करेगी तथा सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी ।

(2) विकास योजना का प्रारूप तैयार करते समय समिति निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी :-

(क) पंचायतों तथा नगर निकायों के विषय, जिसके अन्तर्गत स्थानीय योजना जल और अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवस्थापना का एकीकृत विकास तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल होगा ।

(ख) विकास की योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति पर्यावरण संरक्षण एवं विकास तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय; तथा

(ग) वित्तीय तथा अन्य संसाधन जो तात्कालिक रूप से उपलब्ध है अथवा उपलब्ध हो सकते है।

(3) विकास योजना का प्रारूप तैयार करने में समिति ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों से परामर्श कर सकेगी, जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

जिला योजना समिति की संरचना

4 (1) प्रत्येक जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या उतनी होगी, जितनी निर्धारित की जाय ;

परन्तु यह कि सदस्यों की संख्या न्यूनतम 15 तथा अधिकतम 40 होगी ।

(2) राज्य के न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलें में समिति की सदस्यों की संख्या 15 होगी और अधिकतम जनसंख्या वाले जिलों में यह संख्या 40 होगी ।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों के मध्यवर्ती जनसंख्या के जनपदों में समिति के सदस्यों का निर्धारण उपनियम (4) में उपबन्धित रीति से किया जायेगा।

(4) (क) अधिकतम जनसंख्या वाले जिलें की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलें की जनसंख्या को घटाकर प्राप्त शेष में अधिकतम तथा न्यूनतम विहित सदस्य संख्या के अंतर का भाग दिया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि वह जनसंख्या होगी, जिस पर समिति का एक सदस्य होगा।

(ख) जिले की सदस्य संख्या के निर्धारण के लिए उस जिलें की जनसंख्या में से न्यूनतम जनसंख्या के जनपद की जनसंख्या को घटाया जायेगा। प्राप्त शेष को उपरोक्त खण्ड (क) में प्राप्त संख्या से विभाजित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त लब्धि को न्यूनतम जनसंख्या के जिले की सदस्य संख्या

अर्थात 15 में जोड़ दिया जायेगा। यह संख्या जिले की समिति की सदस्य संख्या होगी।

(ग) भाग देने की दशा में यदि शेष भाजक के आधे या उससे अधिक हो, तो उसे अगला पूर्णांक मान लिया जायेगा और यदि अवशेष भाजक से आधे से कम हो उसे छोड़ दिया जायेगा ।

(5) समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 4/5 से अन्यून सदस्य जिला पंचायत और जिले की नगर निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जायेंगे ।

(6) जिला पंचायत के सदस्यों तथा नगर निकायों के सदस्यों में से चुने गये समिति के सदस्यों का कुल

निर्वाचित सदस्यों के साथ वही अनुपात होगा जो यथास्थिति जिले की ग्रामीण जनसंख्या तथा जिले की नगरीय जनसंख्या का जिले की कुल जनसंख्या के साथ है।

(7) समिति के शेष अधिकतम 1/5 सदस्य निम्नलिखित होगे:–

(1)(क) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई एक मंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा :–

(ख) अध्यक्ष, जिला पंचायत ।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट–पदेन

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जिन्हें इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करेगी कि इस उपनियम के अन्तर्गत सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 1/5 से अधिक नहीं होगी।

(2) समिति के सदस्य निम्नांकित क्रम में नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे :–

(क) अनुसूचित जनजाति का कोई और गैर सरकारी सदस्य जो ग्रामीण अथवा नगरीय नियोजन में शिक्षित हो अथवा जिसे न्यूनतम 10 वर्ष का ऐसे नियोजन का अनुभव हो।